रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 491] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 13, 2006/आश्विन 21, 1928
No. 491] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 13, 2006/ASVINA 21, 1928

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अक्तूबर, 2006

सा.का.नि. 636(अ).—औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का एक प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार, औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1940 (1940 का 23) की धारा 12 और धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् बनाने का प्रस्ताव करती है, उक्त अधिनियम की उक्त धाराओं की अपेक्षानुसार उन व्यक्तियों की सूचना के लिए, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, प्रकाशित किया जाता है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों पर उस तारीख से जिसको राजपत्र की प्रतियां, जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित की जाती है, जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, पैंतालीस दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा;

आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हो, सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 को भेजे जा सकेंगे;

आक्षेप या सुझाव, जो उक्त प्रारूप नियमों की बाबत् उपरोक्त यथाविनिर्दिष्ट अवधि के भीतर किसी व्यक्ति से प्राप्त होंगे, उन पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप नियम

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम औषधि और प्रसाधन सामग्री (…………संशोधन) नियम, 2006 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम 1945 के नियम 148 में, –

(i) उप-नियम (1) में खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :–

"(ग) ……………… (दिन, मास और वर्ष) के पूर्व उपयोग,

(घ) प्रसाधन सामग्री के उपयोग के लिए निर्देश और चेतावनी यदि कोई हो",

(ii) उप-नियम (6) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

"(7) संकेंद्रण में एक प्रतिशत से अधिक विद्यमान संघटक की सूची में उनको जोड़े जाते समय भार या आयतन के अवरोहण क्रम में सूचीबद्ध किया जाएगा, किसी क्रम में एक प्रतिशत से न्यून या बराबर संकेन्द्रण में उन्हें अनुसरित किया जाएगा और "संघटक" शब्द द्वारा प्रारम्भ होगा।

(8) लेबल लगाने की अपेक्षा, यदि कोई हो, तो वह अनुसूची घ के अधीन समाविष्ट प्रसाधन सामग्री के लिए भारतीय मानक ब्यूरो के सुसंगत मानकों में विनिर्दिष्ट है।

(9) कोई प्रसाधन सामग्री किसी ऐसी धारणा को तात्पर्यित या तात्पर्यित के दावे को नहीं सप्रेषित करेगी जो आशयित उपभोक्ता के लिए मिथ्या या भ्रामक है।"।

[फा. सं. एक्स-11014/5/2005-डीएफक्यूसी]

रीता तेवतिया, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th October, 2006

G.S.R. 636(E).—The following draft of certain rules further to amend the Drugs and Cosmetics Rules, 1945, which the Central Government proposes to make, after consultation with the Drugs Technical Advisory Board, in exercise of the powers conferred by Section 12 and Section 33 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940), is hereby published as required by the said sections of the said Act, for the information of all persons likely to be affected thereby, and the notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration after the expiry of a period of forty-five days from the date on which the copies of the Official Gazette in which this notification is published, are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Secretary, Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, Nirman Bhavan, New Delhi - 110011;

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft rules within the period as specified above will be taken into consideration by the Central Government.

DRAFT RULES

1. (1) These rules may be called the Drugs and Cosmetics (................ Amendment) Rules, 2006.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Drugs and Cosmetics Rules, 1945, in Rule 148,—

(i) in sub-rule (1), after the clause (b) the following clauses shall be inserted, namely :—

"(c) use before............. (date, month and year),

(d) directions for use, and warning, if any, on the use of the cosmetic."

(ii) after sub-rule (6), the following sub-rules shall be inserted, namely :—

"(7) The list of ingredients present in concentration of more than one per cent shall be listed in the descending order of weight or volume at the time they are added, followed by those in concentration of less than or equal to one per cent in any order, and preceded by the words 'INGREDIENTS'.

(8) Labelling requirements, if any, specified in the relevant Indian Standards laid down by the Bureau of Indian Standards for the cosmetics covered under Schedule S.

(9) No cosmetic may purport or claim to purport or convey any idea which is false or misleading to the intending user.".

[F. No. X-11014/5/2005-DFQC]

RITA TEAOTIA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.